FORM III

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत S DO MICT मुकाम

मनफूललाल बनाम गोविन्दी

किस्म मुकदमा दावा मु. नं. 115/2018 सन्

GCMS-2018/00238

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
24-8-21	पत्रावली दिनांक 20.08.2021 का अवकाश घोषित होने से आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता प्रार्थना पत्र का कथन है कि विभाजन प्रस्ताव से हम सहमत नही है। मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार नही किया गया है। विभाजन प्रस्ताव पर 22 सह खातेदारो के हस्ताक्षर नही है, केवल 5 के ही हस्ताक्षर है। इनका कोई कब्जा नही है। हमारा कब्जा है। अतः प्रार्थना पत्र आपत्ति स्वीकार किया जावें एवं विभाजन प्रस्ताव पुनः मंगवाया जावें। वकील अप्रार्थी/वादी का कथन है कि तहसीलदार ने मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया है खातेदारी के अनुसार। हमारे हिस्से में दर्ज भूमि ही हमे विभाजन प्रस्ताव में दी गई है। हिस्से से अधिक भूमि हमारे को नही दी गई है। विभाजन प्रस्ताव पूर्ण रूप से सही तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव में कोई कमी नही है। अतः आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें एवं दावा एफ.डी कर दिया जावें।
	वकुलाय उभय पक्षों को सुनने व पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने के पश्चात यह पाया गया कि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा स्वयं मौके पर पहुँचकर पक्षकारान/ खातेदारान के मध्य मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है तथा वादी के हिस्से में दर्ज भूमि रकबा 0.4128 हेक्ट. ही उसे विभाजन प्रस्ताव में दी गई है। तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी(राजस्व मण्डल) नियम—1955 के नियम—18 से 21 अनुसार तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए

जिसमें किसी प्रकार की त्रृटि होना नही पाया जाता है। अतः दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक 894 / भू.अ. / 21 दिनांक 19.02.2021 द्वारा प्रस्तावितानुसार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा वादी व प्रतिवादीगण को विभाजन प्रस्ताव अनुसार पृथक पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिक्री का भाग समझा जावें। तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल [redacted]

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)